आर्ची गैलेक्सी रेजिडेन्शियल वेलफेयर सोसायटी

1	संस्था का नाम	:	इस संस्था का नाम आर्ची गैलेक्सी रेजिडेन्शियल वेलफेयर सोसायटी है व रहेगा।
2	पंजिकृत कार्यालय	:	इस संस्था का पंजीकृत कार्यालयः 01, देबारी पॉवर हाउस के सामने, जिंक स्मेल्टर देबारी, उदयपुर (राज.) है तथा इसका कार्य क्षैत्र आर्ची गैलेक्सी रेजिडेन्शियल परिसर तक रहेगा ।
3	संस्था के उद्देश्य	:	इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है:–

1. सोसायटी के सदस्यों के बीच समन्वय एवं सौहार्द कायम करना ।
2. आर्ची गैलेक्सी रेजिडेन्शियल वेलफेयर सोसायटी के आवासीय परिसर की देखभाल, मरम्मत एवं रख–रखाव का कार्य करना ।
3. आर्ची गैलेक्सी रेजिडेन्शियल वेलफेयर सोसायटी को चलाने के लिये आवश्यक कोष तैयार करना एवं उसे बरकरार रखना ।
4. आर्ची गैलेक्सी रेजिडेन्शियल वेलफेयर सोसायटी के आवासीय परिसर की देखभाल, मरम्मत एवं रख–रखाव में होने वाले खर्चो का भुगताना करना।
5. आर्ची गैलेक्सी रेजिडेन्शियल वेलफेयर सोसायटी आवासीय परिसर के सौन्दर्यकरण, विकास एवं आवश्यकतानुसार कार्यो को सम्पादित करना।
6. आर्ची गैलेक्सी रेजिडेन्शियल वेलफेयर सोसायटी आवासीय परिसर में सुरक्षा, सफाई, नल, बिजली, सुथार, बाग बगीचा, मिस्त्री आदि सेवाओं का प्रबन्ध करना ।

NOTARY
SUNIL BHAWSAR
Area Udaipur (Raj.)
Reg. No. 11931
Expiry Date 14-11-2021
GOVT. OF INDIA

उपरोक्त उद्देशयों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नही है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jaidev Dewal
Designation : REGISTRAR
Date: 2021.06.15 13:33:29 IST
Reason: Approved
Location: Udaipur

4	सदस्यता	:		निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगेः–
			1	संस्था का कार्यक्षेत्र आर्ची गैलेक्सी में निवास करते हो।
			2	बालिग हो ।
			3	पागल व दिवालिया न हो ।
			4	संस्था के उद्देश्य में रूचि व आस्था रखते हो।
			5	संस्था के हित को सर्वोपरी समझते हो ।
5	सदस्यों का वर्गीकरण	:		संस्था के सदस्य निम्न प्रकार के होगें:–
			1	साधारण
6.	सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा	:		उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों के द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा।
			1	साधारण राशि रूपये 100/– प्रतिवर्गफीट आजन्म
			2	वार्षिक/मासिक राशि (सोसायटी द्वारा निर्धारित किया जायेगा।)

NOTARY
SUNIL BHAWSAR
Area Udaipur (Raj.)
Reg. No. 11931
Expiry Date 14-11-2021
GOVT. OF INDIA

7.	सदस्यता से निष्कासन	:	संस्था के सदस्यों के निष्कासन निम्न प्रकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Jaidev Dewal
Designation : REGISTRAR
Date: 2021.06.15 13:33:29 IST
Reason: Approved
Location: Udaipur

किया जा सकेगा ।

1 मृत्यु होने पर

2 त्याग पत्र देने पर

3 क्षैत्र छोडने पर

4 संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर

5 प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर उक्त प्रकार के निष्कासन अपील 15 दिन के अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैद्य समझी जायेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा ।

8. साधारण सभा : संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे ।

9. साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य : सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगेः–

1 प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना ।

2 वार्षिक बजट पारित करना ।

3 प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा करना व उसकी पुष्टि करना।

4 संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन, अथवा परिवर्द्धन कर उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां के कार्यालय में फाईल कराया

NOTARY SUNIL BHAWSAR Area Udaipur (Raj.) Reg. No. 11931 Expiry Date 14-11-2021 GOVT. OF INDIA

Rinkey Jha Amit Chandra Raj Gaurav

Signature Not Verified

Digitally signed by Jaidev Dewal
Designation : REGISTRAR
Date: 2021.06.15 13:33:29 IST
Reason: Approved
Location: Udaipur

जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर ही लागू होगा।

10.	साधारण सभा की बैठक	1	साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष साधारण सभा अध्यक्ष मंत्री एवं कार्यकारिणी के बहुमत के आधार पर अभी भी बुलाई जा सकेगी ।
		2	साधार सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा ।
		3	बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व या अति आवश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दूरभाषा द्वारा दी जावेगी ।
		4	कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहुत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नही होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होगें जो पूर्व के एजेण्डा में था।
		5	संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो एवं कार्यकारिण्धी के कम से कम दो सदस्य आवश्यक होंगे जो लिखित आवेदन करने पर अध्यक्ष/मंत्री द्वारा माह के अन्दर बैठक आहुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर 15 सदस्य में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर बैठक बुला सकेंगे जो उस बैठक में होने वाले समस्य निर्णय वैधानिक व सर्व मान्य होगें। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी

NOTARY SUNIL BHAWSAR Area Udaipur (Raj.) Reg. No. 11931 Expiry Date 14-11-2021 GOVT. OF INDIA

Signature Not Verified

Digitally signed by Jaidev Dewal
Designation : REGISTRAR
Date: 2021.06.15 13:33:29 IST
Reason: Approved
Location: Udaipur

आम सभा में कराना आवश्यक होगा ।

6 प्रत्येक वर्ष की साधारण सभा की कार्यवाही विवरण उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां कार्यालय में पेश की जायेगी ।

11. प्रबन्धकारिणी का गठन : संस्था के कार्य को सूचारू रूप से चलाने के लये एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया है, जो निम्न प्रकार है:–

1 अध्यक्ष 01

2 उपाध्यक्ष 01

3 सचिव 01

4 कोषाध्यक्ष 01

5 सदस्य 03

इस प्रकार 4 पदाधिकारी एवं 3 सदस्य कुल 07 सदस्य होंगे।

जब–जब भी सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने पर आम सभा में निर्णय लेकर प्रबन्धकारिणी की संख्या में बढोतरी या कम किया जायेगा। एवं नये पद या पदनाम भी किये जायेगें।

12. प्रबन्धकारिणी का चुनाव 1 संस्था के प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिये आम सभा द्वारा किया जायेगा।

2 चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जायेगा।

NOTARY SUNIL BHAWSAR Area Udaipur (Raj.) Reg. No. 11931 Expiry Date 14-11-2021 GOVT. OF INDIA

Rinkey Jha Chandra Raj Gaurav

Signature Not Verified

Digitally signed by Jaidev Dewal
Designation : REGISTRAR
Date: 2021.06.15 13:33:29 IST
Reason: Approved
Location: Udaipur

		3	चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा वरिष्ठ सदस्य या बहुमत के आधार पर किया जायेगा ।
		4	नव–निर्वाचित कार्यकारिणी की सूची उप रजिस्ट्रार कार्यालय को देकर उनसे प्रमाणित प्रति लेने पर मान्य होगी ।
13.	प्रबन्धकारिणी के कर्तव्य एवं अधिकार		संस्था का कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे:
		1.	सदस्य बनाना/निष्कारित करना ।
		2	वार्षिक बजट तैयार करना ।
		3	संस्था की सम्पति की सुरक्षा करना ।
		4	वेतनिक कमर्चारियों की नियुक्ति एवं वेतन व भत्तों का निर्धारण करना ।
		5	आम सभा द्वारा पारित निर्णयों को लागू करना।
		6	कार्य व्यवस्था हेतु समितियां बनाना ।
		7	अन्य कार्य जो संस्था के हित में हो वह करना।
14.	प्रबन्धकारिणी की बैठक	1	कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठक अनिवार्य होगी । लेकिन आवश्यकता होने पर अध्यक्ष/मंत्री या कार्यकारिणी के बहुमत के आधार पर कभी भी बुलायी जायेगी ।
		2	बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जायेगी, यदि अतिआवश्यक होने पर कम समय में भी दी जा सकेगी ।

NOTARY SUNIL BHAWSAR Area Udaipur (Raj.) Reg. No. 11931 Expiry Date 14-11-2021 GOVT. OF INDIA

Signature Not Verified

Digitally signed by Jaidev Dewal
Designation : REGISTRAR
Date: 2021.06.15 13:33:29 IST
Reason: Approved
Location: Udaipur

3 बैठक में कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या से आधे से अधिक होगा ।

4 कोरम के अभाव में बैठक स्थगित कर जो दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नही होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होगें जो पूर्व एजेण्डा में थे । ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों में 2 पदाधिकारी की उपस्थित अनिवार्य होगी इस बैठक में की गयी कार्यवाही की पुष्टि आगामी प्रबन्धकारिणी में करानी आवश्यक होगी ।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य : संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार से होगें:–

I अध्यक्ष:–

1. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

2 संविदा व अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

3 बैंक खाते में सयुक्त हस्ताक्षर करना एवं बैठक की अध्यक्षता करना ।

II उपाध्यक्ष:–

1 अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना ।

2 प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना ।

NOTARY SUNIL BHAWSAR Area Udaipur (Raj) Reg. No. 11931 Expiry Date 14-11-2021 GOVT. OF INDIA

Signature Not Verified
Digitally signed by Jaidev Dewal
Designation : REGISTRAR
Date: 2021.06.15 13:33:29 IST
Reason: Approved
Location: Udaipur

III सचिवः–

1 कार्यवाही लिखना व रिकार्ड रखना ।

2 आय–व्यय पर नियंत्रण करना ।

3 वेतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना व उनके वेतन व बिलों को पास करना ।

4 संस्था का प्रतिनिधित्व व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना ।

5 पत्र व्यवहार करना ।

6 संस्था की सम्पति की सुरक्षा हेतु वैधानिक व अन्य कार्य जो आवश्यक हो करना ।

7 बैठक आहुत करना।

8 संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

IV कोषाध्यक्षः–

1 वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करना ।

2 देनिक लेखों को तैयार करना व नियन्त्रण रखना ।

3 चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

4 प्रबन्धकारिणी द्वारा अन्य व्यक्ति को रसीद बुक प्राप्त कर उसकी ऐन्ट्री केश बुक में हर हालत में करें ।

5 अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना ।

NOTARY SUNIL BHAWSAR Area Udaipur (Raj.) Reg. No. 11931 Expiry Date 14-11-2021 GOVT. OF INDIA

Signature Not Verified

Digitally signed by Jaidev Dewal
Designation : REGISTRAR
Date: 2021.06.15 13:33:29 IST
Reason: Approved
Location: Udaipur

V कार्यकारिणी सदस्य :–

1. बैठकों में भाग लेना ।

16. संस्था का कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार से सचित होगाः–

1 चन्दा

2 शुल्क

3 सहायता

4 अनुदान

5 जीवदया

6 राजकीय अनुदान

उक्त प्रकार से संचित राशि संस्था के निकट किसी बैंक में सुरक्षित की जावेगी । बैंक खाते का परिचालन अनिवार्य रूप से सयुंक्त हस्ताक्षर से होगा। संयुक्त हस्ताक्षरकर्ताओं का निश्चियन प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा समय समय पर किया जा सकेगा।

17. कोष संबंधी विशेषाधिकार : संस्था के हित में कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे।

1 अध्यक्ष रूपये 10,000/–

2 सचिव रूपये 10,000/–

2 कोषाध्यक्ष रूपये 10,000/–

NOTARY
SUNIL BHAWSAR
Area Udaipur (Raj.)
Reg. No. 1/1931
Expiry Date 14-11-2021
GOVT. OF INDIA

Signature Not Verified

Digitally signed by Jaidev Dewal
Designation : REGISTRAR
Date: 2021.06.15 13:33:29 IST
Reason: Approved
Location: Udaipur

			उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा ।
18.	संस्था का अंकेक्षण	:	संस्था के समस्त लेखे जोखो का वार्षिक अंकेक्षण कराया जायेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थाऐं को प्रस्तुत करने होंगे।
19.	सस्था के कोषों का विनियोग		प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा सस्थां के बेहतर प्रबंधन हेतु संस्था के कोषों का विनियोग प्रबंध कार्यकारिणी के 2/3 बहुमत द्वारा किया जा सकेगा।
19.	संस्था का विधान में परिवर्तन	:	संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार आम सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा । जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12, 13 व 14 के अनुरूप होगी ।
20.	संस्था का विघटन	:	यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पति समान उद्देश्य लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगा ।
21.	संस्था के लेखे	:	उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां उदयपुर संस्था के रिकार्ड जोखो का निरीक्षण करने पर पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये

NOTARY SUNIL BHAWSAR Area Udaipur (Raj) Reg. No. 11931 Expiry Date 14-11-2021 GOVT. OF INDIA

Rinkey Jha Chandra Raj Gaurav

Signature Not Verified

Digitally signed by Jaidev Dewal
Designation : REGISTRAR
Date: 2021.06.15 13:33:29 IST
Reason: Approved
Location: Udaipur

गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी ।

प्रमाणित किया जाता हैं कि उक्त विधान (नियमावली) आर्ची गैलेक्सी रेजिडेन्शियल वेलफेयर सोसायटी, 1, न्यू विद्या नगर, हिरण मगरी सेक्टर नम्बर 4 उदयपुर (राज.) की सही व सच्ची प्रतिलिपि हैं ।

Chandra Raj चन्द्रराज सिंह (अध्यक्ष)	शैलेन्द्र कुमार (सचिव)	गगनदीप भटनागर (कोषाध्यक्ष)

SUNIL BHAWSAR Area Udaipur (Raj.) Reg. No. 11931 Expiry Date 14-11-2021 NOTARY GOVT. OF INDIA

(अध्यक्ष)	(सचिव)	(कोषाध्यक्ष)
चन्द्रराज सिंह पिता श्री [illegible] सिंह, पता 503, ई ब्लॉक, आर्ची गैलेक्सी, देबारी उदयपुर (राज.) Chandra Raj	शैलेन्द्र कुमार पिता श्री गयादित्य शर्मा, पता 406, ए ब्लॉक आर्ची गैलेक्सी, देबारी उदयपुर (राज.)	श्री गगनदीप भटनागर पिता श्री सुशील कुमार भटनागर पता–808, ए ब्लॉक, आर्ची गैलेक्सी, देबारी उदयपुर (राज.)

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते है व उन्हें हमारे समक्ष अपने हस्ताक्षर किये है।

SIGN./MARKS ATTESTED

SUNIL BHAWSAR
NOTARY, UDAIPUR (RAJ

4 JUN 2021

Rinkey Jha

Chandra Raj

Signature Not Verified

Digitally signed by Jaidev Dewal
Designation : REGISTRAR
Date: 2021.06.15 13:33:29 IST
Reason: Approved
Location: Udaipur